



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष, 1946 (श०)

संख्या - 24 राँची, मंगलवार,

7 जनवरी, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

12 दिसम्बर, 2024

संख्या-1/सी0-211/2024 का०- 8057--भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए झारखण्ड संवर्ग में सेलेक्शन ग्रेड (विशेष सचिव, लेवल-13, 123100-215900) कोटि में रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि पूर्ण करने के उपरान्त भी झारखण्ड संवर्ग के 05 पदाधिकारी सेलेक्शन ग्रेड में प्रोन्नति पाये बिना सेवानिवृत्त हो जायेंगे। उक्त 05 पदाधिकारियों के सेलेक्शन ग्रेड (विशेष सचिव कोटि) में प्रोन्नति पाये बिना सेवानिवृत्त होने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त IAS (Cadre) Rules, 1954 के नियम- 4(2) में निहित प्रावधान के आलोक में झारखण्ड संवर्ग अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड (विशेष सचिव, लेवल- 13,123100-215900) कोटि में 05 (पाँच) अतिरिक्त अस्थायी पद के रूप में सृजित किया जाता है।

उक्त नवसृजित अस्थायी संवर्गीय पद के विरुद्ध प्रोन्नत होने वाले पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति तिथि अथवा दो वर्ष जो भी पहले हो के पश्चात् स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव।
